बिहार सरकार

शिक्षा विभाग

(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

आदेश

पटना, दिनांक .....

संख्या–08 / आ०5–06 / 2021..... / प्राचार्य, प्रखंड शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, बाईट, माधोपट्टी, दरभंगा के पत्रांक 13 दिनांक 25.01.2021 द्वारा संसूचित किया गया कि श्रीमती कुमारी निर्मला, तत्कालीन व्याख्याता, प्रखंड शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, बाईट, माधोपट्टी, दरभंगा दिनांक 26.12.2019 से 18.12.2020 तक सहरसा कारागार में हिरासत में रही तथा उन्हें दिनांक 18.12.2020 को नियमित जमानत मिल गयी।

उक्त प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में निदेशालय के आदेश ज्ञापांक 140 दिनांक 15.02.2021 द्वारा श्रीमती कुमारी निर्मला की हिरासत अवधि दिनांक 26.12.2019 से दिनांक 18.12.2020 तक बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के सुसंगत प्रावधानों के तहत उन्हें निलंबित किया गया एवं योगदान की तिथि 19.12.2020 के प्रभाव से निलंबन मुक्त किया गया। निदेशालय के आदेश ज्ञापांक 148 दिनांक 15.02.2021 द्वारा दिनांक 19.12.2020 के प्रभाव से पुनः निलंबित किया गया एवं निलंबन अवधि में श्रीमती कुमारी का मुख्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी का कार्यालय, भागलपुर निर्धारित किया गया। निदेशालय के आदेश ज्ञापांक 486 दिनांक 23.07.2021 द्वारा श्रीमती कुमारी निर्मला को निलंबन मुक्त करते हुए प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, रंगराचौक, भागलपुर के पद पर पदस्थापित किया गया।

श्रीमती कुमारी निर्मला के कारावास के संबंध में जाँच करते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी, दरभंगा के पत्रांक 328 दिनांक 25.06.2021 द्वारा जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया। जिला शिक्षा पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आलोक में श्रीमती कुमारी निर्मला, तत्कालीन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, रंगराचौक, भागलपुर के विरूद्ध अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर से आरोप पत्र का गठन किया गया। जिसमें उनके विरूद्ध निम्न आरोप अंकित किये गयेः–

1. श्रीमती कुमारी निर्मला, तत्कालीन व्याख्याता, प्रखंड शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, बाईट, माधोपट्टी, दरभंगाके द्वारा वित्तीय लेन–देन में इनके द्वारा निर्गत चेक का बैंक से अनादर हो जाने के कारण इनके विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई। फलतः इनकी गिरफ्तारी हुई तथा दिनांक 26.12.2019 से दिनांक 18.12.2020 तक हिरासत में रही।

2. बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम 17 एवं 18 का उल्लंघन करना।

उक्त गठित आरोप पत्र को संलग्न करते हुए निदेशालय के पत्रांक 561 दिनांक 06.08.2021 द्वारा आरोपी पदाधिकारी से स्पष्टीकरण की मांग की गई। आरोपी पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गये स्पष्टीकरण के समीक्षोपरांत उसे अस्वीकृत करते हुए निदेशालय के आदेश ज्ञापांक 601 दिनांक 03.08.2022 द्वारा श्रीमती कुमारी के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही संचालित किया गया। अनुशासनिक कार्यवाही के संचालन हेतु क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर को संचालन पदाधिकारी एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी, दरभंगा को उपस्थापन पदाधिकारी नामित किया गया।

संचालन पदाधिकारी–सह–क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर के पत्रांक 99 (उच्च), दिनांक 27.03.2023 द्वारा उक्त अनुशासनिक कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया। जिसमें संचालन पदाधिकारी द्वारा अंकित किया गया कि आरोपी पदाधिकारी के विरूद्ध कोई विभागीय आरोप नहीं है। पूर्ण रूप से यह निजी मामला है, जो वर्त्तमान में सहरसा, व्यवहार न्यायालय में विचाराधीन है। साथ ही उपस्थापन पदाधिकारी द्वारा दिये मंतव्य के आलोक में आरोपी पदाधिकारी को आरोप मुक्त करने हेतु संचालन पदाधिकारी द्वारा अनुशंसा की गई।

प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आलोक में निदेशालय के पत्रांक 480 दिनांक 08.06.2023, पत्रांक 120 दिनांक 03.02.2024 एवं पत्रांक 291 दिनांक 30.03.2024 द्वारा आरोपी पदाधिकारी के हिरासत में बिताये गये अवधि, उनके विरूद्ध दर्ज किये गये प्राथमिकी की छायाप्रति एवं अपराधिक मामले की अद्यतन स्थिति के संबंध में क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर से अभिलेख की मांग की गई।

आरोपी पदाधिकारी के पुत्र श्री जितेन्द्र कुमार, जिला–सहरसा द्वारा श्रीमती कुमारी निर्मला का अवकाश स्वीकृत करने हेतु आवेदन उपलब्ध कराये जाने के पश्चात् संज्ञान में आया कि श्रीमती कुमारी निर्मला की मृत्यु सेवाकाल में दिनांक 09.08.2024 को हो गई है। आरोपी पदाधिकारी के पुत्र द्वारा संलग्न साक्ष्यों में मृत्यु से संबंधित मृत्यु प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया गया।

सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक 8811 दिनांक 18.07.2017 द्वारा स्पष्ट किया गया है कि "विभागीय कार्यवाही संचालन के क्रम में, विचारण के किसी भी चरण में, आरोपित सरकारी सेवक की मृत्यु हो जाने की स्थिति में, संबंधित सरकारी सेवक के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही स्वतः समाप्त हो जायेगी तथा मृत्यु की सूचना का उल्लेख करते हुए संबंधित आरोप प्रकरण को संचिकास्त कर दिया जायेगा।"

श्रीमती कुमारी निर्मला, तत्कालीन व्याख्याता, प्रखंड शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, बाईट, माधोपट्टी, दरभंगा के द्वारा वित्तीय लेन–देन में इनके द्वारा निर्गत चेक का बैंक से अनादर हो जाने के कारण इनके विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई। फलतः इनकी गिरफ्तारी हुई तथा हिरासत में रही। हिरासत अवधि के दौरान श्रीमती कुमारी निर्मला को दिनांक 26.12.2019 से 18.12.2020 तक एवं 19.12.2020 से 23.07.2021 तक कुल दो बार निलंबित किया गया।

सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक 8811 दिनांक 18.07.2017 के आलोक में स्व0 कुमारी निर्मला, भूतपूर्व प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, रंगराचौक, भागलपुर के विरूद्ध संचालित अनुशासनिक कार्यवाही को संचिकास्त किया जाता है। बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 11 (2) के तहत स्व0 कुमारी निर्मला, भूतपूर्व प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, रंगराचौक, भागलपुर को निलंबन अवधि में पूर्ण वेतन एवं भत्ता (जीवन निर्वाह् भत्ता तथा अन्य भत्ते एवं सरकारी बकाया या ऋणों का समायोजन करते हुए) का भुगतान किया जायेगा, जिसके लिए स्व0 कुमारी निलंबित नहीं होने पर हकदार होती।

ह०/–

(कुमार निशांत विवेक)

निदेशक (प्राथमिक शिक्षा)

ज्ञापांक–08/आ०5–06/2021–932/ पटना, दिनांक 07.08.2026

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, बिहार, पटना/क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर एवं दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा/जिला शिक्षा पदाधिकारी, भागलपुर एवं दरभंगा/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्था०), भागलपुर एवं दरभंगा/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/उप कोषागार पदाधिकारी/स्व० कुमारी निर्मला, भूतपूर्व प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, रंगराचौक, भागलपुर के पुत्र श्री जितेन्द्र कुमार जिला–सहरसा, गंगजला चौक, वार्ड संख्या–18/32, कुंवर टोला, भागलपुर एवं आई०टी० मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक (प्राथमिक शिक्षा)